

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274 ]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2026 — ज्येष्ठ 12, शक 1948

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जून 2026

### अधिसूचना

क्रमांक एफ RULE-402/1/2025-TRANSPORT.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3/दो/आठ/परि./2011, दिनांक 16.12.2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

सरल क्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:—

### “अनुसूची

स. क.	कार्यालय/निकाय / अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय	शिक्षार्थी वाहन चालन अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी किया जाना	आवेदन प्राप्त होने के बाद 10 कार्य दिवस	परिवहन निरीक्षक/उप-निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ लिपिक	क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी	जिला कलेक्टर







	प्राधिकार, अटल नगर, नवा रायपुर	की द्वितीय प्रति जारी किया जाना—RTA	कार्य दिवस	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार		अपीलीय अधिकरण
43.	कार्यालय, एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, अटल नगर, नवा रायपुर	मंजिली यान के अनुज्ञा पत्र का समर्पण किया जाना—RTA	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस	सचिव / संयुक्त सचिव, एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण
44.	कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकार, अटल नगर, नवा रायपुर	मंजिली यान के स्थाई अनुज्ञा पत्र में पता परिवर्तन दर्ज किया जाना—STA	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस	सचिव / उप सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण
45.	कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकार, अटल नगर, नवा रायपुर	मंजिली यान के अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी किया जाना—STA	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस	सचिव / उप सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण
46.	कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकार, अटल नगर, नवा रायपुर	मंजिली यान के अनुज्ञा पत्र का समर्पण किया जाना—STA	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवस	सचिव / उप सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन प्राधिकार	राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलेश बंसोड़, संयुक्त सचिव.